न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल नम्बर 907/2021 निर्णय दिनांक :–1/11/21

उनवान प्रार्थना पत्र :

मोहम्मद ....बनाम तहसीलदार......दूनी......दूनी

उपनिवेश

......प्रार्थी

तहसीलदार......दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

: : आदेश : :

प्रार्थी मोहम्मद युनुस पुत्र अब्दुल रहमान निवासी धुवालियां ने प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प/न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम.......................... जमाबंदी संवत् ......2077......................के खाता संख्या..33...में दर्ज प्रार्थी का नाम मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान..........के स्थान पर मोहम्मद युनुस पुत्र अब्दुल रहमान दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड कराने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार......दूनी......से कराई गई। तहसीलदार......दूनी......ने पटवार हल्का धुवालियां व भू0अ0नि0 धुवालियां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार......................से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप –6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः– 4(1)राज–6/2012/... के तहत तहसीलदार......दूनी...... को वाके ग्राम......धुवालियां......जमाबंदी संवत्........................ के खाता संख्या......33............में दर्ज मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान .... मोहम्मद युनुस पुत्र अब्दुल रहमान.................. दुरूस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुगत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार दूनी को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को खुले इजलास, कैम्प ......धुवालियां......में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली